

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-40/24

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

एयु स्मॉल फायनेंस बैंक लि.  
प्लॉट नम्बर 39, शान्तिवन पांचवी  
मंजिल, 11 वी रोड़, सरदारपुरा,  
जोधपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी  
श्री मोहन राम

- महीपाल पुत्र चन्द्राराम  
ग्राम कूड भोपालगढ़, 13 ताडियो का  
बास, जिला जोधपुर
- चन्द्राराम चौधरी पुत्र खीयाराम  
ताडियों का बास, ग्राम कूड, पीपाड़  
रोड़ जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक:-15-01-2025.

1-चन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण महीपाल पुत्र चन्द्राराम व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 10,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण चन्द्राराम चौधरी पुत्र खीयाराम की जायदाद अवस्थित खसरा नम्बर 263, ग्राम पंचायत कूड, तहसील पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1064.8 वर्गगज, जिसके उत्तर में खसरा नम्बर 263/8 रास्ता, दक्षिण में खसरा नम्बर 263/2 की भूमि, पूर्व में खसरा नम्बर 263/6 की भूमि, पश्चिम में कूड से हिंगाणिया ग्रेवल सड़क आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 06.05.2024 तक 11,69,457/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर

Page 1 of 2



जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 10,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 06.05.2024 तक 11,69,457/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद चन्द्राराम चौधरी पुत्र खीयाराम की जायदाद अवस्थित खसरा नम्बर 263, ग्राम पंचायत कूड, तहसील पीपाड सिटी, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1064.8 वर्गगज. जिसके उत्तर में खसरा नम्बर 263/8 रास्ता, दक्षिण में खसरा नम्बर 263/2 की भूमि, पूर्व में खसरा नम्बर 263/6 की भूमि, पश्चिम में कूड से हिंगाणिया ग्रेवल सड़क आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।



आज दिनांक 15-01-2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)